कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 फिरोजाबाद

पत्रांक 314 /E   दिनांक :- 21-02-15

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
फिरोजाबाद।

विषय :- उ0प्र0 रोड साइट लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट 1945 की धारा-6 के अन्तर्गत शिकोहाबाद भोगांव मार्ग के कि0मी0-5 के खसरा नं0-820,821/1, 822/2 ग्राम कन्थरी तहसील शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद में पैट्रोल पम्प रिटेल आउट लेट स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध मे।

सन्दर्भ :- कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद का पत्रांक 105/आबकारी सहायक/एन0ओ0सी0/पैट्रोल सहायक दिनांक 06.12.2014 एवं मुख्य अभियन्ता आगरा क्षेत्र, लो0नि0वि0 आगरा के पत्रांक 2142/116सी0-आ0क्षे0/14 दिनांक 13.02.2015 एवं अधीक्षण अभियन्ता मैनपुरी वृत, लो0नि0वि0 मैनपुरी के पृष्ठांकन संख्या-1506/29सी0-मै0वृ0/15 दिनांक 16.02.2015

सन्दर्भित पत्र के क्रम में मानचित्र पर आख्या बिन्दुवार निम्नवत् है :-

1. प्रस्तावित पैट्रोल पम्प का निर्माण आई0आर0सी0 कोड संख्या 12-1983 के अनुसार किया जाये।
2. प्रस्तावित पैट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग पर 1.00 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कराया जाये।
3. प्रस्तावित पैट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग पर निर्मित की जाने वाली पुलियों के बीच रोड साइड खन्ती में 1.00 मी0 चौड़ाई की ड्रेन बनाकर उसके ऊपर स्टील पाइप के कैटिल कैचर बना दिया जाये, ताकि मार्ग का पानी सुरक्षा एवं सुविधा पूर्वक रोड साइड ड्रेन से होकर आगे प्रवाहित नाली/नाले में बह सके।
4. प्रस्तावित पैट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग का ढाल मार्ग से पुलिया के ओर होगा।
5. प्रस्तावित पैट्रोल पम्प के पेवड ऐरिया का लेविल सड़क के पेन्टेड सतह के मध्य बिन्दु के लेविल से 50 से0मी0 नीचे रखा जाये।
6. बफर स्ट्रिप के पास हैजेज की ऊँचाई 60 से0मी0 से ऊपर न रखी जाये।
7. प्रस्तावित पैट्रोल पम्प का निर्माण मार्ग की स्थायी भूमि के बाहर अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया जाये तथा निर्माण सामिग्री इस सीमा में न रखी जाये।
8. यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय का कोई विवाद विचाराधीन हो तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त समझा जायेगा।
9. भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से करा लिया जाये। इस सम्बन्ध में लो0नि0वि0 का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
10. आई0आर0सी0-13 के अनुसार मार्ग के 300 मी0 दूरी पर कोई पैट्रोल पम्प स्थापित नहीं है।
11. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट से न्यूनतम् 1.00 कि0मी0 की दूरी में कोई चैक पोस्ट नहीं है।
12. प्रस्तावित पैट्रोल पम्प रिटेल आउटलेट शिकोहाबाद भोगांव मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-84) कि0मी0-5(4.510) यू0पी0 रोड साइड कन्ट्रोल एक्ट 1945 के अन्तर्गत मार्ग के मध्य से 22.87 मीटर पर स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण की संस्तुति की जाती है।

संलग्न :- 1. मानचित्र एवं सन्दर्भित पत्र की छायाप्रति।

(के0सी0 यादव)
अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0, लो0नि0वि0, फिरोजाबाद

प्रतिलिपि :- सहायक अभियन्ता (प्रथम) प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 फिरोजाबाद को आपकी संस्तुति के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- अवर अभियन्ता (प्रा0) को सूचनार्थ।

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0, लो0नि0वि0, फिरोजाबाद